



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022022-233717
CG-DL-E-24022022-233717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 817]
No. 817]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 24, 2022/फाल्गुन 05, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022/PHALGUNA 05, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2022

सं. 56 / 2015—2020

विषय:— रेमडिसिविर इंजेक्शन और एपीआई, एम्फॉटेरिसिन—बी इंजेक्शन, एनॉक्सापेरिन (फॉर्मूलेशन और एपीआई) एवं इंट्रा—वेनस इम्युनोग्लोबुलिन (आईवीआईजी) (फॉर्मूलेशन और एपीआई) की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 846(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा—संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा रेमडिसिविर इंजेक्शन और एपीआई, एम्फॉटेरिसिन—बी इंजेक्शन, एनॉक्सापेरिन (फॉर्मूलेशन और एपीआई) और इंट्रा—वेनस इम्युनोग्लोबुलिन (आईवीआईजी) (फॉर्मूलेशन और एपीआई) के निर्यात से संबंधित अधिसूचना संख्या 08/2015—20 दिनांक 14.06.2021, अधिसूचना संख्या 07/2015—20 दिनांक 01.06.2021 और अधिसूचना संख्या 50/2015—20 दिनांक 10.01.2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

क्र.सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
207एए	एक्स 293499 एक्स 300490	इंजेक्शन रेमडिसिविर और रेमडिसिविर एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई)	प्रतिबंधित	मुक्त
207एबी	एक्स 30049029 एक्स 30049099	एम्फॉटेरिसिन – बी इंजेक्शन	प्रतिबंधित	मुक्त
207 ईई	एक्स 2942 एक्स 3001 एक्स 3002	एनॉक्सापेरिन (फॉर्मूलेशन और एपीआई)	प्रतिबंधित	मुक्त
207 एएफ	एक्स 3002	इंट्रा-वेनस इम्युनोग्लोबुलिन (आईवीआईजी) (फॉर्मूलेशन और एपीआई)	प्रतिबंधित	मुक्त

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

ऊपर उल्लिखित एचएस कोड के अंतर्गत आने वाले अथवा किसी अन्य एचएस कोड के अंतर्गत आने वाले इंजेक्शन रेमडिसिविर और रेमडिसिविर एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई), एम्फॉटेरिसिन-बी इंजेक्शन, एनॉक्सापेरिन (फॉर्मूलेशन और एपीआई) और इंट्रा-वेनस इम्युनोग्लोबुलिन (आईवीआईजी) (फॉर्मूलेशन और एपीआई) की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से 'मुक्त' श्रेणी में रखा गया है।

[फा. सं. 01 / 91 / 180 / 24 / एएम22 / ईसी / ई 27724]

संतोष कुमार सांरगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2022

No. 56/2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of Remdesivir Injection and API, Amphotericin-B Injections, Enoxaparin (Formulation and API) and Intra-Venous Immunoglobulin (IVIG) (Formulation and API) – regarding

S.O. 846(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes following amendment in **Notification No. 08/2015-20 dated 14.06.2021, Notification No. 07/2015-20 dated 01.06.2021 and Notification No. 50/2015-20 dated 10.01.2022** related to export of Remdesivir Injection and API, Amphotericin-B Injections, Enoxaparin (Formulation and API) and Intra-Venous Immunoglobulin (IVIG) (Formulation and API):

Sl. No.	ITC HS Codes	Description	Existing Policy	Revised Policy
207AA	Ex 293499 Ex 300490	Injection Remdesivir and Remdesivir Active Pharmaceutical Ingredients (API)	Restricted	Free

207AB	Ex 30049029 Ex 30049099	Amphotericin – B Injections	Restricted	Free
207 AE	Ex 2942 Ex 3001 Ex 3002	Enoxaparin (Formulation and API)	Restricted	Free
207 AF	Ex 3002	Intra-Venous Immunoglobulin (IVIG) (Formulation and API)	Restricted	Free

2. Effect of this Notification:

The export policy of Injection Remdesivir and Remdesivir Active Pharmaceutical Ingredients (API), Amphotericin – B injections, Enoxaparin (Formulation and API) and Intra-Venous Immunoglobulin (IVIG) (Formulation and API) falling under HS code as mentioned above or falling under any other HS code has been made 'Free' with immediate effect.

[F. No. 01/91/180/24/AM22/EC /E-27724]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.